भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *123

जिसका उत्तर 13.02.2025 को दिया जाना है

टोल प्लाजा पर धोखाधड़ी

*123. थिरु दयानिधि मारन:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार के पास टोल प्लाजा पर धोखाधड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए वर्तमान में क्या उपाय हैं;

(ख) टोल प्लाजा पर सुरक्षा और संचालन व्यवस्था की प्रमाणिकता की कितने समय अंतराल पर संपरीक्षा की जाती है और इस प्रयोजन हेतु क्या तंत्र उपलब्ध हैं;

(ग) क्या ऐसे विशिष्ट मानक या प्रमाणन हैं जिनका अनुपालन टोल प्लाजा सॉफ्टवेयर में हो ताकि इसमें छेड़छाड़ को सुदृढ़ता से रोका जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या विसंगतियों या सॉफ़्टवेयर के अनधिकृत संस्थापन का समयोचित पता लगाने के लिए फास्टैग सिस्टम को बेहतर करने की योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या बड़े पैमाने पर धोखाधड़ीपूर्ण संचालन, जैसे चौदह राज्यों में बयालीस टोल प्लाजा पर हुए घोटाले के बारे में हाल की रिपोर्ट से पता चलता है, पहले से ही पकड़ में नहीं आए थे और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार की इस मामले में ज्ञात हुई प्रणालीगत कमियों को किस प्रकार दूर करने की योजना है; और

(छ) क्या टोल प्लाजा संचालकों और आईटी कर्मियों को नियोजित करने से पहले उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और धोखाधड़ी में शामिल टोल प्लाजा संचालकों के विरुद्ध क्या अर्थदंड लगाए गए हैं या दंडात्मक कार्रवाई की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (छ) विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

"टोल प्लाजा पर धोखाधड़ी" के संबंध में थिरु दयानिधि मारन द्वारा पूछे गए दिनांक 13.02.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *123 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) वर्तमान में, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (एनईटीसी) कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 98% से अधिक प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण फास्टैग के माध्यम से होता है। सभी फास्टैग लेनदेन की प्रक्रिया एक सुरक्षित परि-तंत्र में होती हैं, जिसमें टोल प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर, शुल्क प्लाजा पर अधिग्रहणकर्ता बैंक, केंद्रीय समाशोधन गृह (सीसीएच) के रूप में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) और फास्टैग जारीकर्ता बैंक शामिल होते हैं। लेनदेन में एक पारदर्शी प्रक्रिया होती है, जिसमें काटे गए प्रयोक्ता शुल्क (टोल) की जानकारी राजमार्ग प्रयोक्ताओं को दी जाती है और एक केंद्रीय संग्रह में दर्ज की जाती है। इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण (ईटीसी) प्रणाली को इस तरह से तैयार किया गया है कि कोई भी फास्टैग लेनदेन सभी तीन हितधारकों अर्थात् प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर अधिग्रहणकर्ता बैंक, एनपीसीआई और जारीकर्ता बैंक की भागीदारी के बिना नहीं हो सकता है।

इसके अलावा, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण करने वाली एजेंसियां, प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा के टोल प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से नकद संग्रहण की प्रक्रिया करने के लिए बाध्य है, ताकि सभी संग्रहण (फास्टैग/नकद) का एक केंद्रीकृत रिकॉर्ड रखा जा सके। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और शुल्क प्लाजा ऑपरेटर के बीच हुए अनुबंध के अनुसार, अमान्य/गैर फास्टैग वाहनों से संग्रहित की गई नकदी को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) और टोल एजेंसी के बीच समान रूप से साझा किया जाना होगा।

इसके अलावा, नकद संग्रहण और छूट प्राप्त वाहनों की निगरानी, एनएचएआई पीआईयू की अर्धवार्षिक आंतरिक लेखापरीक्षा का हिस्सा है, जिसके आधार पर ईटीसी पहुंच को और बेहतर बनाने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा संचालन की 24X7 निगरानी करने और प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि के बारे में केंद्रीय नियंत्रण कक्ष को रिपोर्ट करने के लिए सिस्टम इंटीग्रेटर्स को नियुक्त किया है।

(ख) प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर सिस्टम इंटीग्रेटर्स (एसआई) को एनईटीसी कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए भारतीय राजमार्ग प्रबंधन कंपनी लिमिटेड (आईएचएमसीएल) द्वारा पैनलबद्ध किया गया है। प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण का अर्धवार्षिक लेखा परीक्षण एनएचएआई के आंतरिक लेखा परीक्षकों और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएंडएजी) द्वारा किया जा रहा है।

उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण में संचालन संबंधी ईमानदारी और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, एनएचएआई ने नीतिगत परिपत्र, दिनांक 25.01.2024 के माध्यम से टोलिंग ऑपरेशन में संचालन संबंधी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसका अनुपालन फील्ड अधिकारियों (क्षेत्रीय अधिकारियों और परियोजना निदेशकों) द्वारा किया जाएगा। एसओपी में टोल प्लाजा पर आकस्मिक जांच और नियमित निगरानी के प्रावधान शामिल हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि टोल प्लाजा पर सभी लेन-देन (नकद/फास्टैग) टोल प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर के माध्यम से संसाधित किए जाएं।

(ग) पैनलबद्ध सिस्टम इंटीग्रेटर्स को अपने टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) सॉफ्टवेयर को हर 12 महीने में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन कार्रवाई टीम (सीईआरटी-इन) द्वारा प्रमाणित कराना अनिवार्य है। आईएचएमसीएल के पैनलबद्ध करने के नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुसार टीएमएस सॉफ्टवेयर को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन (एसटीक्यूसी) द्वारा प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, सिस्टम इंटीग्रेटर्स को पैनलबद्ध करने के दिशानिर्देशों में टीएमएस सॉफ्टवेयर में मौजूद विशिष्ट मॉड्यूल का उल्लेख किया गया है।

लगभग 98% से अधिक प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण करने वाली ईटीसी प्रणाली में कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। हालांकि, यह बताया गया है कि अत्रैला शिव गुलाम शुल्क प्लाजा पर, पूरा नकद संग्रहण किया गया था, जिसका कुछ हिस्सा शुल्क प्लाजा के टोल प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं, बल्कि एक अनधिकृत हैंडहेल्ड मशीन के माध्यम से संसाधित किया गया था। इस घटना से सीख लेते हुए, एनएचएआई का लक्ष्य अमान्य/गैर फास्टैग वाहनों से नकद संग्रहण प्रक्रिया को मजबूत करना है और शुल्क प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों की संख्या पर सख्ती से निगरानी करने के लिए अतिरिक्त निगरानी पर विचार किया जा रहा है, ताकि इसका टोल प्लाजा पर प्राप्त रसीदों के साथ मिलान किया जा सके।

(घ) एनएचएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का उपयोग करके गुजरने वाले वाहनों की सटीक गणना और वर्गीकरण की स्वतंत्र रूप से निगरानी करने के लिए उच्च-मूल्य वाले टोल प्लाजा पर ऑडिट कैमरे लगाने पर विचार कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने घरौंडा, चोर्यासी, निमिली, यूईआर-II और द्वारका एक्सप्रेसवे पर प्रायोगिक (पायलट) आधार पर फास्टैग और स्वचालित नंबर प्लेट पहचान (एएनपीआर) आधारित निर्बाध टोलिंग प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से फास्टैग के माध्यम से प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण को सक्षम बनाती है। अमान्य/गैर-फास्टैग वाहनों के लिए ई-नोटिस प्रस्तावित हैं, इस प्रकार टोल संग्रहण प्रक्रिया से नकद संग्रहण को समाप्त कर दिया गया है।

(ड.) सरकार को प्रयोक्ता शुल्क प्लाजा पर धोखाधड़ी के बारे में कुछ सूचना मिली हैं। मामले की जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

(च) एनएचएआई ने फील्ड अधिकारियों और सिस्टम इंटीग्रेटर्स को निगरानी प्रणाली में और सुधार करने तथा शुल्क प्लाजा पर औचक निरीक्षण बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

(छ) टोल एजेंसियों के साथ अनुबंध समझौते के दायित्व के अनुसार आवश्यक जांच कार्यान्वित की जाती है। टोल ऑपरेटरों द्वारा संचालन में पारदर्शिता सहित दायित्वों का पालन न करने की स्थिति में, अनुबंध समझौते के अनुसार आवश्यक दंड लगाया जाता है, जिसमें एक वर्ष तक की अवधि के लिए एनएचएआई से निष्कासित करना भी शामिल है।

इसके अलावा, एनएचएआई, टोल संग्रहण एजेंसियों के संविदा संबंधी दायित्वों की सख्ती से निगरानी करता है। अतीत में 7 एजेंसियों को संचालन में पारदर्शिता के उल्लंघन सहित संविदागत दायित्वों के उल्लंघन के लिए निष्कासित/आर्थिक रूप से दंडित किया गया है।

*****